

क्रोना संक्रमण से चौदह दिन बाद एक और मौत हुई राजस्थान में

राज्य में इससे पहले 10 मई को अजमेर में एक संक्रमित की मृत्यु हुई थी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश में बुधवार को चौदह दिन बाद फिर कोरोना से एक और संक्रमित की मौत हुई है। हालांकि इस बीच राज्य में थोड़ी गिरावट के बाद 57 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 52 मरीज ठीक होने के साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं।

राजधानी जयपुर में बुधवार को कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले 10 मई को अजमेर में एक संक्रमित की मृत्यु हुई थी। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9555 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में 57 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 71 रोगी गए थे। वहीं

■ प्रदेश में बुधवार को थोड़ी गिरावट के बाद 57 नए संक्रमित मिले, इनमें 31 रोगी जयपुर में पाए गए हैं।

■ राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं।

आज राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान जिले में 31 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 10,

अजमेर में 5, जोधपुर व उदयपुर में 3-3, बीकानेर व सीकर में 2-2 तथा गंगानगर में 1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 25 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिराही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में बुधवार को फिर नए संक्रमितों के मुकाबले रिकवरी कम हुई है। इस दौरान 52 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 12 लाख 75 हजार 303

लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 264 मामले जयपुर में हैं।

जगतपुरा व विद्याधर नगर में 5-5 नए संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा जगतपुरा और विद्याधर नगर में 5-5 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 4, सोड़ाला में 3 तथा जामडोली, अजमेर रोड, बनौपाक, ब्रह्मपुरी, झोटवाड़ा, खातीपुरा, कोटपूली, मालवीय नगर, मानसरोवर, सांभर, सांगानेर और टोंक रोड इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच जिले में 24 मरीज ठीक हुए हैं।

पंजीयन का अधिकार मिलेगा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें लगे तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती का रास्ता साफ

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 का रास्ता साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए एकलपीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।

याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्नों के अलावा बीस अन्य प्रश्नों में से दो वैकल्पिक प्रश्नों को चुनने की व्यवस्था की गई थी। आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया। याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में 70 अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी। जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता।

'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को सफल बनाने के लिए मिशन मोड में काम करें : सीएस



मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में आगामी महिनों में शुरू होने वाले 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' की समीक्षा की।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' को सफल बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को मिशन मोड में काम करना होगा ताकि अभियान को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके और आमजन को कुछ खाद्य पदार्थ पूरी मात्रा में प्राप्त हो सके। शर्मा बुधवार को यहां शासन सचिवालय में आगामी महिनों में शुरू होने वाले 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' की समीक्षा बैठक की

अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि इस अभियान को पूर्णतया गंभीरता से लें तथा इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस अभियान को कुछ माह के बजाए स्थायी प्रक्रिया के तौर पर अपनाया जाए। साथ ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन में इस

अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसका पूरा प्रचार-प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान में नशे की दुष्प्रवृत्ति को रोकथाम के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से कहा कि नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिए एक फिल्म बनाकर उसे प्रत्येक कॉलेज तथा स्कूल में दिखानी चाहिए जिससे युवा नशे की दुष्प्रवृत्ति से बच सकें।

नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चर्चा



जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, रीको की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह और बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ बैठक कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां अब गति पकड़ने लगी हैं। उद्योगों की स्थापना और जापानी कंपनियों को नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन (जेए) और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, रीको की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह और बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ अहम बैठक कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने उद्योग भवन में आयोजित इस बैठक में जापान और राजस्थान के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की। प्रदेश में वर्ष 2006 में जापानी इन्वेस्टमेंट जॉन बनने के साथ से ही जापानी

कंपनियों का कबेहतर सहयोग मिला है। जापानी कंपनियों ने प्रदेश में निरंतर निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी इसी तरह के सहयोग का आग्रह किया है।

इस अवसर पर रीको प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि नीमराणा में प्रदेश का दूसरा जापान बसता है। राज्य सरकार जापानी कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में कंपनियों द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सुविधाओं में विस्तार भी किया जाएगा।

बैठक में बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जापानी प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान वन स्टॉप सॉल्यूशन, रिफ, रोड शोज सहित कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि

राज्य सरकार सौर उर्जा के साथ डाउनस्ट्रीम एनर्जी (पेट्रोकेमिकल) जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने कंपनियों से सभी क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आग्रह किया।

इस अवसर पर में जेट्रो (नई दिल्ली) के चीफ डायरेक्टर जनरल यासुयुकी मुराहाशी, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टोमोयुकि हतानो, असिस्टेंट डायरेक्टर गौरव शर्मा व नाइडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नीमराणा) के मैनेजिंग डायरेक्टर केईजी ओशिमा, कंपनी सेक्रेटरी लोकेश तनेजा और अभिषेक त्यागी ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव भी दिए। गौरतलब है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट में जापानी कंपनियों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होना प्रस्तावित है।

हत्याकांड मामले में पांच साल बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की

हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की

जयपुर। बलकेश मीणा हत्याकांड में सीबीआई ने जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल नहीं की। इस पर हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। भाई सुरेश मीणा की ओर से याचिका प्रस्तुत की गई थी और 2017 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दी थी लेकिन 5 साल बाद भी न्यायालय में चार्जशीट फाइल नहीं की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि अप्रैल 2016 में बलकेश मीणा को नीम का थाना पुलिस वाले दुकान से उठाकर ले गए थे और 3 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं दिखाया गया और थाने में ही रखा गया था उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उसके बाद उसको सवाई माधोपुर थाने में ले गए वहां पर भी लगातार मारपीट की गई और लगातार मारपीट करने से बलकेश

मीणा की मृत्यु हो गई। बलकेश मीणा के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पूरे गांव ने थाने को घेर लिया था तब पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा पूरे थाने को सस्पेंड किया गया था लेकिन उसके बाद में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब याचिकाकर्ता की तरफ से भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सीबीआई जांच की मांग की थी और हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वे पूरे प्रकरण की दोबारा निष्पक्ष जांच करें। इस आदेश से घबराकर पुलिस वालों ने रिज्यू याचिका पेश कर निवेदन किया कि जांच सीबीआई को नहीं दी जावे और राजस्थान के किसी भी बड़े अधिकारी से जांच करवा ली जाए। भंडारी ने इसका जबरदस्त विरोध किया कि रिज्यू याचिका में निवेदन नहीं है। हाईकोर्ट में बहस सुनने के बाद पुलिस

सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद सीबीआई दिल्ली ने इस प्रकरण में पूरी जांच की। गवाहों के दिल्ली बुलाकर बयान लिए गए और मौके की जांच पड़ताल की गई और जांच पूरी कर ली गई लेकिन राजस्थान सरकार के प्रमुख हुए सचिव अभय कुमार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है जबकि इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति को कोई जरूरत नहीं है लेकिन इस कांड में 10 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है इसलिए दबाव के कारण चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रप्रकाश सोनगरा ने भंडारी की बहस सुनकर सरकारी वकील को निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें।

बच्चे से कुकर्म करने वाले पड़ोसी को सजा

जयपुर, (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त विशाल उर्फ हावू को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आजकल नाबालिग बालकों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 26 जनवरी 2021 को साढ़े चार साल का पीडित बच्चा घर की छत पर खेल रहा था। इनमें पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त युवक आया और फावड़ा लेने के बहाने छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी नानी छत पर गई। जहां अभियुक्त पीडित के साथ कुकर्म कर रहा था। नानी के विरोध करने पर अभियुक्त बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। इस पर पीडित की मां ने जोबनेर थाने में अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कराया।

1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों की जीपीएफ कटौती शुरू

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) अभिधान की मासिक कटौती प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रैल से जीपीएफ के अभिधान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी।

हाउसिंग बोर्ड ने 1 दिन में 100 व्यवसायिक भूखंड बेचकर कीर्तिमान बनाया

जयपुर, (का. स.)। राजस्थान आवासन मण्डल ने बुधवार नीलामी उत्सव में एक ही दिन में 100 व्यवसायिक भूखंड बेचने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। हाउसिंग बोर्ड की अपनी दुकान-अपना व्यवसाय योजना में बीकानेर वृत्त के हनुमानगढ़ और सूतरगढ़ में ई-ऑक्शन एवं ई-बिड सबमिशन के माध्यम से 9 करोड़ 53 लाख रुपये में यह 100 व्यवसायिक भूखंड बिके। इसके अतिरिक्त इस बुधवार को ही 70 आवासीय संपत्तियां भी बेची गई हैं। यह जानकारी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने दी है। अरोड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरूआती दो माह की अल्पावधि में ही बुधवार नीलामी उत्सव

के अंतर्गत ई-ऑक्शन और ई-बिड सबमिशन के माध्यम से मंडल द्वारा प्रदेश में 847 आवासीय एवं व्यवसायिक अधिशेष संपत्तियों का विक्रय कर कुल 112 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। इनमें जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 258 आवसों का बेचान कर 41 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

रीट परीक्षा में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत

जयपुर। हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2022 में आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भगवती शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 12 अप्रैल को रीट का विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 19 मई और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मई रखी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पिछली बार आवेदन पत्र भरा था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी। ऐसे में उन्हें इस बार सिर्फ चालान ही जनरेट करना था, लेकिन याचिकाकर्ता तय तिथि तक चालान जनरेट नहीं कर पाए।

■ वर्ष 2010 में कालवाड़ गाँव में सृजित 1426 भूखंडों की योजना में हाईकोर्ट के स्टे के कारण नहीं दिया जा सका था कब्जा

जेडीए आयुक्त रवि जैन ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ग्राम कालवाड़ में अमृत कुंज योजना का सृजन वर्ष 2010 में किया गया था। आवंटित भूखंड नहीं मिलने के कारण कई वर्षों से परेशान थे। पूर्व में सृजित अमृत कुंज योजना में कुल 1426 भूखंड थे। योजना में हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में स्थगन आदेश दिया गया था, जिसके कारण आवंटित भूखंडों का आवंटन नहीं हो पाया था।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश आर्थ पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की याचिका में मोहन लाल नामा की ओर से पेश अर्जी पर दिए।

मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश की।

■ पायलट और अन्य विधायकों ने नया अधिवक्ता नियुक्त किया

कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विवास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है। इसलिए अब

याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए। दूसरी ओर विधायकों की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है। वहीं हाईकोर्ट में पूर्व में पायलट सहित 18 विधायकों के अधिवक्ता ने पैरवी करने से मना कर दिया था तो राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी विधायकों को नोटिस भिजवाया था और पायलट सहित 16 विधायकों की ओर से नए अधिवक्ता ने पैरवी की 7 विधायकों की तरफ से वकालतनामा पेश किया और

डॉ. दीपाली प्रधान को मिला श्री गुरु सेवा सम्मान

जयपुर। केंद्रीय मंत्री सी.आर.चौधरी ने बुधवार को जयपुर के पिकसिटी प्रेस क्लब में डॉ. दीपाली प्रधान को श्री गुरु सेवा सम्मान अर्वाइ से नवाजा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ. गणेश नारायण, अलका चौधरी और चंदनमल वर्मा भी उपस्थित थे। डॉ. दीपाली को यह पुरस्कार उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों, प्रयोगों, सेमिनार, वर्कशॉप व अन्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों में बहुचर्चा का हिस्सा लेने के लिए दिया गया। डॉ. दीपाली प्रधान ने पिछले कई वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है।

आमजन के लिए राजस्व नियमों में सरलीकरण किया जाए : रामलाल जाट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्व मंत्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में बजट एवं जन घोषणाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाट ने राजस्व विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं एवं जन घोषणाओं की क्रियान्विति की स्थिति एवं प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट एवं जन घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व विभाग के नियमों का सरलीकरण किया जाए। जाट ने भू उपयोग परिवर्तन की

प्रक्रिया व इसके नियमों पर एवं विभाग में रिक्त पदों की स्थिति तथा नवीन राजस्व इकाइयों की वर्ष 2019 से 2021 तक के गठन पर चर्चा की। उन्होंने राजस्व न्यायलयों में लंबित राजस्व बादाओं को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अध्यक्ष राजस्व मण्डल सचिव राजस्व, आनन्द कुमार, राजस्व मण्डल, विशिष्ट शासन सचिव विश्राम मीणा सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

नवसृजित न्यायालयों को मिलेंगे 39 नवीन पद जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत नए न्यायालयों में सहायक अधिवक्ता अधिकारी के 13 पद, कनिष्ठ सहायक के 13 पद तथा सतृथ श्रेणी के 13 पद सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों का सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 3.67 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय संभावित है।



जेडीए प्रशासन ने बुधवार को अमृत कुंज योजना के आवंटित भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया।

जिस कारण आवंटित भूखंडों को मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका था। जेडीए की ओर से सफल भूखंडधारियों के लिए अमृत कुंज-द्वितीय योजना सृजित करने का निर्णय लिया गया। शीघ्र योजना सृजित कर

आवंटित भूखंडों का आवंटन संभव हो पाया है। योजना में मौके पर भूमि का सीमांकन किया जा चुका है। विकास कार्य किये जा रहे हैं। पूर्व में क्षेत्रफल 30, 54, 120 व 225 वर्गमीटर भूखंड लॉटरी से आवंटित

किये गये, जिसके पेटे आवंटितों की ओर से सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गयी है। ऐसे आवंटितों को नवसृजित योजना अमृत कुंज-द्वितीय में लॉटरी के माध्यम से नागरिक सेवा केन्द्र जयपुर, जयपुर में भूखंडों का आवंटन किया गया है।